

4

Untied Fund

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निदेश 2020-21

कार्यक्रम का नाम- Untied Funds

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष- District Hospitals (DH)

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): 4.1.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:-

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जिला अस्पतालों के रख-रखाव एवं आवश्यक कार्यों हेतु Untied Funds का बजट प्रावधान किया गया है।

विदित हो कि Untied Grants, AMG and RKS Grants को भारत सरकार द्वारा एकीकृत करते हुए मात्र एक Untied Grants की स्वीकृति पूर्व में ही दी गई है।

उक्त राशि निम्नांकित कार्यों में खर्च की जा सकती है:-

- 1 जिला अस्पताल में छोटे-छोटे सामानों की खरीदारी पर यथा-पर्दा लगाने, नल की मरम्मत, बल्ब लगाने।
- 2 रोगी जाँच टेबुल, डेलीवरी टेबुल, स्टेथोस्कोप, बी.पी. उपकरण, हीमोग्लोबिनोमीटर, कॉपर-टी लगाने वाले किट, उपकरण ट्रे, बच्चा ट्रे, वजन मशीन (मां एवं नवजात शिशु हेतु), प्लास्टिक/रबर सीट, ड्रेसिंग हेतु उपकरण, बाल्टी, मरीजों एवं एटेन्डेन्ट्स के बैठने की व्यवस्था, मैकेनटैस सीट की खरीदारी।
- 3 शुद्ध पेयजल एवं बिजली की व्यवस्था।
- 4 सफाई की व्यवस्था विशेषकर बच्चों के जन्मोपरान्त।
- 5 आपातस्थिति में रेफरल परिवहन।
- 6 ब्लीचिंग पाउडर एवं संक्रमणनाशी चीजों की खरीदारी ।
- 7 अस्पताल की साफ-सफाई एवं जलजमाव की रोकथाम।
- 8 Soak Pits का निर्माण/मरम्मत कराने में।
- 9 आवंटित राशि से प्रसव कक्ष, शल्यकक्ष, सभी वार्ड, शौचालय, रसोईघर आदि की मरम्मत तथा रंगाई-पोताई, दरवाजा-खिड़की की मरम्मत एवं रंग-रोगन किया जा सकता है।
- 10 जीवन रक्षक दवाओं की खरीदारी पर इस मद की राशि खर्च की जा सकती है।
- 11 रोगी एवं उनके परिजनों के हित में। खर्च से पूर्व रोगी कल्याण समिति का अनुमोदन आवश्यक है।

नोट:-

जिला अस्पतालों की रोगी कल्याण समिति एवं भंडारपाल की यह जवाबदेही होगी कि इस मद से क्रय/रिपेयर किये जाने वाली सामग्री को खरीदने/रिपेयर से पूर्व यह प्रमाणित करेंगे कि उक्त सामग्री का क्रय पूर्व में किसी मद/श्रोत से नहीं किया गया है अथवा उपलब्ध सामग्री तत्काल में उपयोग लायक नहीं है।

संबंधित अपर निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएँ)-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी का नाम : ~~डॉ० राज नारायण द्विवेदी~~
संबंधित पदाधिकारी का मोबाईल नम्बर: 9470003828, Email-Id- rbskbihar@gmail.com

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निदेश 2020-21

कार्यक्रम का नाम- Untied Funds

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष- Sub Divisional & Referral Hospitals

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): 4.1.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:-

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमंडलीय/रेफरल अस्पतालों में रख-रखाव एवं आवश्यक कार्यों हेतु Untied Funds का बजट प्रावधान किया गया है।

उक्त राशि निम्नांकित कार्यों में खर्च की जा सकती है:-

- 1 SDH/RH में छोटे-छोटे सामानों की खरीदारी यथा-पर्दा लगाने, नल की मरम्मत, बल्ब लगाने।
- 2 रोगी जाँच टेबुल, डेलीवरी टेबुल, स्टेथोस्कोप, बी.पी. उपकरण, हीमोग्लोबिनोमीटर, कॉपर-टी लगाने वाले किट, उपकरण ट्रे, बच्चा ट्रे, वजन मशीन (मां एवं नवजात शिशु हेतु), प्लास्टिक/रबर सीट, ड्रेसिंग हेतु उपकरण, बाल्टी, मरीजों एवं एटेन्डेन्ट्स के बैठने की व्यवस्था, मैकेनटौस सीट की खरीदारी।
- 3 शुद्ध पेयजल एवं बिजली की व्यवस्था पर।
- 4 सफाई की व्यवस्था विशेषकर बच्चों के जन्मोपरान्त।
- 5 आपातस्थिति में रेफरल परिवहन पर।
- 6 ब्लिचिंग पाउडर एवं संक्रमणनाशी चीजों की खरीदारी पर।
- 7 अस्पताल की साफ-सफाई एवं जलजमाव की रोकथाम।
- 8 Soak Pits का निर्माण/मरम्मत कराने में।
- 9 आवंटित राशि से प्रसवकक्ष, शल्यकक्ष, सभी वार्ड, शौचालय, रसोईघर आदि की मरम्मत तथा रंगाई-पोताई, दरवाजा-खिड़की की मरम्मत एवं रंग-रोगन किया जा सकता है।
- 10 जीवन रक्षक दवाओं की खरीदारी पर इस मद की राशि खर्च की जा सकती है।
- 11 रोगी एवं उनके परिजनों के हित में की जाने वाली व्यवस्था पर। खर्च से पूर्व रोगी कल्याण समिति का अनुमोदन आवश्यक है।

नोट:-

अस्पताल की रोगी कल्याण समिति एवं भंडारपाल की जवाबदेही होगी कि इस मद से क्रय/रिपेयर किये जाने वाली सामग्री को खरीदने/रिपेयर से पूर्व यह प्रमाणित करेंगे कि उक्त सामग्री का क्रय पूर्व में किसी मद/श्रोत से नहीं किया गया है अथवा उपलब्ध सामग्री तत्काल में उपयोग लायक नहीं है।

संबंधित अपर निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएँ)-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी का नाम : डॉ० राज नारायण द्विवेदी
संबंधित पदाधिकारी का मोबाईल नम्बर: 9470003828, Email-Id- rbskbihar@gmail.com


(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निदेश 2020-21**कार्यक्रम का नाम- Untied Funds****बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष - Community Health Centers (CHCs)**

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): 4.1.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:-

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) में रख-रखाव एवं आवश्यक कार्यों हेतु Untied funds का बजटीय प्रावधान किया गया है।

वित्तीय दिशा-निदेश-

बजट उपबंध अन्तर्गत Untied funds/Annual Maintenance /Corpus Grants to HMS/RKS समाहित है। CHCs राज्य में नई अवधारणा (Concept) है। PHC का उन्नयन कर CHCs के रूप में परिवर्तित किया गया है।

आशा है कि ऐसे संस्थानों से समुदाय को Outdoor, Indoor, प्रयोगशाला जाँच के साथ-साथ शल्य क्रिया से लाभ पहुँचेगा।

कृपया HMIS का उपयोग करते हुए प्रतिवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि इस प्रतिवेदन को आधार मानते हुए आगामी वर्ष में आवश्यकतानुसार Funds का Differential allocation किया जा सके, क्योंकि भारत सरकार का दिशा-निदेश है कि स्वास्थ्य संस्थानों को Untied funds का Allocation करते समय गत वित्तीय वर्ष में संस्थानों द्वारा दी गई सेवाओं को मानक माना जाय।

उक्त राशि निम्नांकित कार्यों में खर्च की जा सकती है:-

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) में छोटे-छोटे सामानों की खरीदारी पर यथा-पर्दा लगाने, नल की मरम्मत, बल्ब लगाने।
2. रोगी जाँच टेबुल, डेलीवरी टेबुल, स्टेथोस्कोप, बी.पी. उपकरण, हीमोग्लोबिनोमीटर, कॉपर-टी लगाने वाले किट, उपकरण ट्रे, बच्चा ट्रे, वजन मशीन (मां एवं नवजात शिशु हेतु), प्लास्टिक/रबर सीट, ड्रेसिंग हेतु उपकरण, बाल्टी, मरीजों एवं एटेन्डेन्ट्स के बैठने की व्यवस्था, मैकेनटैस सीट की खरीदारी।
3. शुद्ध पेयजल एवं बिजली की व्यवस्था पर।
4. सफाई की व्यवस्था विशेषकर बच्चों के जन्मोपरान्त।
5. आपातस्थिति में रेफरल परिवहन पर।
6. ब्लीचिंग पाउडर एवं संक्रमणनाशी चीजों की खरीदारी पर।
7. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) में साफ-सफाई एवं जलजमाव की रोकथाम हेतु।



(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

8. Soak Pits का निर्माण/मरम्मत कराने में।
9. आवंटित राशि से प्रसव कक्ष, शल्यकक्ष, सभी वार्ड, शौचालय, रसोईघर आदि की मरम्मत तथा रंगाई-पोताई, दरवाजा-खिड़की की मरम्मत एवं रंग-रोगन किया जा सकता है।
10. जीवन रक्षक दवाओं की खरीदारी पर।
11. रोगियों एवं उनके परिजनों के हित में की जाने वाली व्यवस्था पर। खर्च से पूर्व रोगी कल्याण समिति का अनुमोदन आवश्यक है।

नोट:-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) की रोगी कल्याण समिति एवं भंडारपाल की यह जवाबदेही होगी कि इस मद से क्रय/रिपेयर किये जाने वाली सामग्री को खरीदने/रिपेयर से पूर्व यह प्रमाणित करेंगे कि उक्त सामग्री का क्रय पूर्व में किसी मद/श्रोत से नहीं किया गया है अथवा उपलब्ध सामग्री तत्काल में उपयोग लायक नहीं है। इससे सामग्रियों की खरीद में व्यर्थ के खर्च से बचा जा सकता है।

संबंधित अपर निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएँ)-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी का नाम : डॉ० राज नारायण द्विवेदी
संबंधित पदाधिकारी का मोबाईल नम्बर: 9470003828, Email-Id- rbskbihar@gmail.com


(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निदेश 2020-21**कार्यक्रम का नाम- Untied Funds**

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष - Primary Health Centre (PHCs)

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): 4.1.4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:-

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रख-रखाव एवं आवश्यक कार्यों हेतु Untied Funds का बजट प्रावधान किया गया है।

विदित हो कि Untied Grants, AMG and RKS Grants को भारत सरकार द्वारा एकीकृत करते हुए मात्र एक Untied Grants की स्वीकृति पूर्व में दी गई है। इसके पीछे कारण है कि स्वास्थ्य संस्थानों को आवश्यकता आधारित राशि खर्च करने में सुगमता हो।

उक्त राशि निम्नांकित कार्यों में खर्च की जा सकती है:-

- 1 PHC में छोटे-छोटे सामानों की खरीदारी पर यथा-पर्दा लगाने, नल की मरम्मत, बल्ब लगाने।
- 2 रोगी जाँच टेबुल, डेलीवरी टेबुल, स्टेथोस्कोप, बी.पी. उपकरण, हीमोग्लोबिनोमीटर, कॉपर-टी लगाने वाले किट, उपकरण ट्रे, बच्चा ट्रे, वजन मशीन (मां एवं नवजात शिशु हेतु), प्लास्टिक/रबर सीट, ड्रेसिंग हेतु उपकरण, बाल्टी, मरीजों एवं एटेन्डेन्ट्स के बैठने की व्यवस्था, मैकेनटैस सीट की खरीदारी।
- 3 शुद्ध पेयजल एवं बिजली की व्यवस्था।
- 4 सफाई की व्यवस्था विशेषकर बच्चों के जन्मोपरान्त।
- 5 आपातस्थिति में रेफरल परिवहन पर।
- 6 ब्लिचिंग पाउडर एवं संक्रमणनाशी दवाइयों की खरीदारी पर।
- 7 अस्पताल की साफ-सफाई एवं जलजमाव की रोकथाम।
- 8 Soak Pits के निर्माण/मरम्मत कराने में।
- 9 आवंटित राशि से प्रसवकक्ष, शल्यकक्ष, सभी वार्ड, शौचालय, रसोईघर आदि की मरम्मत तथा रंगाई-पोताई, दरवाजा-खिड़की की मरम्मत एवं इसका रंग-रोगन किया जा सकता है।
- 10 जीवन रक्षक दवाओं की खरीदारी पर इस मद की राशि खर्च की जा सकती है।
- 11 रोगियों एवं उनके परिजनों के हित में की जाने वाली व्यवस्था पर। खर्च से पूर्व रोगी कल्याण समिति का अनुमोदन आवश्यक है।

नोट:- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की रोगी कल्याण समिति एवं भंडारपाल की जवाबदेही होगी कि इस मद से क्रय/रिपेयर किये जाने वाली सामग्री को खरीदने/रिपेयर से पूर्व यह प्रमाणित करेंगे कि उक्त सामग्री का क्रय पूर्व में किसी मद/श्रोत से नहीं किया गया है अथवा उपलब्ध सामग्री तत्काल में उपयोग लायक नहीं है। इससे सामग्रियों के व्यर्थ के क्रय/रिपेयर में राशि के खर्च से बचा जा सकता है।

संबंधित अपर निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएँ)-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी का नाम : डॉ० राज नारायण द्विवेदी
संबंधित पदाधिकारी का मोबाईल नम्बर: 9470003828, Email-Id- rbskbihar@gmail.com


(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निदेश 2020-21

कार्यक्रम का नाम- Untied Funds

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष - Sub Centres

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): 4.1.5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के रख-रखाव एवं आवश्यक कार्यों हेतु **Untied Funds** का बजट प्रावधान किया गया है।


विदित हो कि **Untied Grants, AMG and RKS Grants** को भारत सरकार द्वारा एकीकृत करते हुए मात्र एक **Untied Grants** की स्वीकृति पूर्व में दी गई है।

वित्तीय दिशा-निदेश:-

1. सरकारी भवन में संचालित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को आवश्यक एवं आकस्मिक चीजों की खरीदारी हेतु 20 हजार रुपये प्रति उपकेन्द्र की दर से बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ-ही, भाड़े के मकान में चल रहे स्वास्थ्य उपकेन्द्र को प्रति उपकेन्द्र 10 हजार रुपये की दर से बजट उपलब्ध कराया जा रहा है।

स्वास्थ्य उपकेन्द्र के Untied Funds का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जा सकता है:-

1. स्वास्थ्य उपकेन्द्र के छोटे परिवर्तन यथा-पर्दा लगाने में, नल की मरम्मत, बल्ब लगाने में एवं छोटी मरम्मत।
2. स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु रजिस्टर/फाईल खरीदने में। आवश्यकतानुसार कुर्सी/टेबुल/बेंच खरीदने में।
3. स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर पर आवश्यक सामग्री, उपकरण एवं मशीन की खरीदारी एवं रिपेयर।
4. आंगनवाड़ी केन्द्र पर आयोजित ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस-VHSND में लाभार्थी तथा सेवा प्रदाता के बैठने के लिए भाड़े पर कुर्सी, टेबुल, बेंच, दरी एवं अन्य आवश्यक सामग्री के लिए आवश्यक हो तो अधिकतम 100 रुपये प्रति ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस-VHSND प्रति माह की दर से राशि खर्च की जा सकती है।
5. VHSND सत्रों के लिए ANM द्वारा सम्पन्न गर्भवती माताओं की प्रसव-पूर्व जाँच हेतु आवश्यक उपकरणों यथा Stethoscope BP Instrument, Haemoglobinometer, वजन मशीन (वयस्कों के लिए), Foetoscope आदि की खरीदारी में किया जा सकता है।
6. स्वास्थ्य उपकेन्द्र की साफ-सफाई के लिए।
7. जलजमाव की रोकथाम हेतु।
8. राशि का उपयोग सार्वजनिक उपयोग में आनेवाली चीजों की खरीदारी में करना है।




 (Avinash Kumar Pandey)
 State Programme Manager
 State Health Society, Bihar, Patna

राशि खर्च करने की विधि :-

ANM द्वारा सामग्रियों की सूची तैयार की जायेगी। सामग्रियों की सूची की स्वीकृति आमसभा द्वारा प्राप्त की जाएगी। आमसभा की अध्यक्ष महिला वार्ड सदस्य होगी तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्र की इनचार्ज ANM सचिव के रूप में कार्य सम्पादित करेगी। स्वास्थ्य उपकेन्द्र का संयुक्त बैंक खाता होगा जिसका संचालन अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। आमसभा की बैठक में स्वीकृति के उपरांत खाते से राशि की निकासी की जायेगी। सामग्रियों की खरीदारी ANM के द्वारा की जायेगी। आमसभा की आगामी बैठक में ANM द्वारा खरीदी गई सामग्रियों की सूची प्रस्तुत की जायेगी तथा इस सूची को आमसभा द्वारा सम्पुष्ट किया जायेगा। सामग्रियों की प्रवृष्टि भंडार पंजी में संधारित होगी तथा सामग्रियों के वाउचर (अभिश्चव) की एक प्रति प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

नोट:- Untied Funds की राशि का उपयोग नियमानुसार किया जाय।

संबंधित अपर निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएँ)-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी का नाम : डॉ० राज नारायण द्विवेदी
संबंधित पदाधिकारी का मोबाईल नम्बर: 9470003828, Email-Id- rbskbihar@gmail.com


(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

Annexure -

कियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020-21

कार्यक्रम का नाम : VHSNC

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर) : Untied Fund – VHSNC

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर) : 4.1.6

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत बिहार प्रदेश के सभी नागरिकों, विशेषतः निर्धन वर्ग तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्ग को सुलभ, प्रभावी एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के सामुदायिकीकरण एवं ग्राम स्तर पर गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान किये जाने एवं समुदाय द्वारा उसका समुचित उपभोग किये जाने हेतु ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (वी०एच०एस०एन०सी०) का गठन किया गया है। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य एवं इसके सामाजिक निर्धारकों से सम्बन्धित मुद्दों पर सामूहिक कार्यवाही किया जाना इस समिति के प्रमुख उत्तरदायित्वों में से है।

प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत को Untied Fund उपलब्ध कराया जाता है जिसका उपयोग स्थानीय स्तर पर ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर संपादित किया जाना है जिससे ग्रामीण स्तर की जन स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकतायें पूर्ण हो सकें।

इकाई राशि (रु० में) : 10,000/- प्रति वी०एच०एस०एन०सी० (VHSNC)

वित्तीय दिशा निर्देश :

वित्तीय वर्ष 2020-21 में वी०एच०एस०एन०सी० के लिए @ Rs. 10000/- (दस हजार रुपया) प्रति वी०एच०एस०एन०सी० की दर से भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

इसके तहत राशि निम्नांकित रूप से वर्णित खर्च विवरणी के अनुसार व्यय की जा सकती है।

1. गुणवत्ता पूर्ण आरोग्य दिवस को आयोजित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता जैसे Examination table, BP Machine, Stethoscope, Hemoglobin test kit, Uri stick, Fetoscope, Thermometer, Measuring tape, Hub Cutter इत्यादि का नियमानुसार क्रय उक्त राशि से किया जा सकता है।
2. ग्राम स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की गतिविधि, स्वच्छता अभियान एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए खर्च किये जा सकते हैं।
3. आरोग्य दिवस / ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के आयोजन के एक दिन पूर्व सेवा क्षेत्र में समुदाय को उक्त तिथि, समय एवं स्थल पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में सूचित करने के

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

लिए, दिवाल लेखन, ढोल पिटवाना अथवा माइकिंग हेतु अधिकतम रूपया 100/- प्रति माह की दर से खर्च की जा सकती है ताकि लोगों में इस कार्यक्रम की उपयोगिता की जानकारी हो सके एवं अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

4. आंगनवाड़ी केन्द्र पर आयोजित ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस में लाभार्थी तथा सेवा प्रदाता के बैठने के लिए कुर्सी, टेबुल, बेंच, दरी एवं अन्य आवश्यक सामग्री के लिए अधिकतम रूपया 100/- प्रति ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस / आरोग्य दिवस प्रति माह की दर से राशि खर्च की जा सकती है।

ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सशक्तिरण हेतु अन्य प्रस्ताव पारित कर राशि को नियमानुसार खर्च किया जा सकता है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम:

डा० नरेन्द्र कुमार सिन्हा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (VHSNC & VHSND)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर: 9470003014





(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020-21**कार्यक्रम का नाम: Health and Wellness Centre**

बजट/एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): **Untied funds for HSC-converted to HWC**

नया बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): **4.1.7**

पुराना बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर):

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर आम जनता को उनके घर के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य संस्थानों की संरचना में प्रथम सम्पर्क के रूप में कार्यरत Health Sub Centres, Additional Primary Health Centres एवं Urban Primary Health Centres को Health & Wellness Centres के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इकाई राशि (रु० में) : 30,000/- प्रति HWC की दर से प्रति स्वास्थ्य उप केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों जेएएस के परामर्श से हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर स्तर पर (Untied) अनटाइड फंड उपलब्ध कराया जा रहा है के आलोक में अप्रत्याशित छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु।

वित्तीय दिशा निर्देश : (Untied) अनटाइड फंड का उपयोग जनमानस के हित में किये जाना चाहिए न कि व्यक्तिगत जरूरतों के लिए सिवाय आपातकालीन स्थितियों में रेफरल और परिवहन एवं नियमित आवश्यकताओं के लिए जैसे कि हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर रखरखाव/उपकरण/दवाओं और डायग्नोस्टिक्स के लिए अनटाइड फंड का उपयोग केवल पी.एच०सी० एमओ के परामर्श के बाद नियमित आपूर्ति में व्यवधान होने पर किया जाना चाहिए। इस हेतु दिशा निर्देश के साथ भारत सरकार का Operational Guideline भी अग्रतर कार्यार्थ संलग्न है।

क्र. सं.	गतिविधियाँ	विवरणी	उपबंधित राशि
1	वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रत्येक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर अनटाइड फंड का उपयोग	719 HSCs Converted to HWCs	719 (HSCs 719 x 30,000/-) =Rs. 21,57,0000/-

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डॉ.ए.के. शाही/डॉ० बप्पादित्या सिन्हा
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर: 8544402010/9470003088

BSinha.

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna